यह कानून कवर किए गए ऐप-आधारित कर्मचारियों की सुरक्षा करता है, भले ही उनकी आप्रवासन स्थिति कुछ भी हो।

कवर की गई नेटवर्क कंपनियों को इस कानून का पालन करना होगा। बदले की कार्रवाई करना गैरकानूनी है। 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी

Seattle Office of Labor Standards

ऐप-आधारित कर्मचारी के खाते को निष्क्रिय का अधिकार अध्यादेश (App-Based Worker Deactivation Rights (ABWDR) Ordinance)

SMC 8.40 अधिकारों संबंधी सूचना

1 जनवरी, 2025 से प्रभावी

आप इस कानून के तहत आते हैं अगर:

- अगर निष्क्रियता से पहले के 180 दिनों के दौरान आपके द्वारा पूरे किए गए ऑफर और/या आपके द्वारा रद्द किए गए ऑफर में से कम से कम 25% में, किसी कवर किए गए नेटवर्क कंपनी के लिए सिएटल में सेवाएं प्रदान करना शामिल था; **या**
- आपका निष्क्रियकरण एक घटना या घटनाओं से संबंधित था जो एक कवर की गई नेटवर्क कंपनी के लिए सिएटल में सेवाएं प्रदान करते समय घटित हुई थीं।

काम के लिए ऐप-आधारित प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने वाले सभी कर्मचारी इस कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं।
अधिक जानकारी के लिए यहाँ स्कैन करें:

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/app-based-worker-ordinances/app-based-worker-deactivation-rights-ordinance

सिएटल के ऐप-आधारित कर्मचारी अध्यादेश परिवहन नेटवर्क कंपनी (राइडशेयर) चालकों को कवर नहीं करते हैं।

कवर किए गए एक ऐप-आधारित कर्मचारी के तौर पर आपके पास ये अधिकार हैं:

- निष्क्रियण नीति की उचित सूचना प्राप्त करना, जिसमें यह बताया गया हो कि कौन से कार्य निष्क्रियण का कारण बन सकते हैं और साथ ही उसमें निष्क्रियण को चुनौती देने की प्रक्रिया भी बताई गई हो।
    - निष्क्रियकरण नीति उचित रूप से कंपनी के सुरक्षित और कुशल संचालन से संबंधित होनी चाहिए।
- नेटवर्क कंपनी की आंतरिक निष्क्रियण चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से निष्क्रियण को चुनौती देना, चाहे निष्क्रियण की ओर ले जाने वाली घटना कहीं भी घटित हुई हो।
- निष्क्रियण से पहले 14 दिन का नोटिस, जब तक कि निष्क्रियण गंभीर दुर्व्यवहार के कारण न हो या कानून द्वारा अपेक्षित न हो, ऐसी स्थिति में कंपनियां आपके खाते को तत्काल निष्क्रिय कर सकती हैं।
    - नोटिस में आपको निष्क्रियता के कारण(कारणों) के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें कंपनी की नीति का उल्लंघन करने वाली विशिष्ट घटना(घटनाएँ) शामिल होनी चाहिए और वे सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिन पर नेटवर्क कंपनी ने आपके खाते को निष्क्रिय करने का निर्णय लेने में भरोसा किया और विचार किया।

नेटवर्क कंपनियां:

- आपके खाते को "अनुचित" रूप से निष्क्रिय नहीं कर सकती हैं, जिसमें भेदभाव करने के इरादे से किया गया निष्क्रियण भी शामिल है।
- नेटवर्क कंपनियों को आपके खाते को निष्क्रिय करने से पहले उन दावों की जांच करनी चाहिए कि आपने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया है या नहीं और यह प्रदर्शित करना होगा कि, अधिक संभावना है कि आपने नीति का उल्लंघन किया है।
- निष्क्रियता से जुड़े नियम, नीतियों और दंड को एक सुसंगत तरीके से लागू करना चाहिए।
- आपके खाते को केवल तभी निष्क्रिय कर सकती हैं जब यह उचित रूप से नीति उल्लंघन से संबंधित हो और उन्हें आपके काम की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

- कानूनों या विनियमों का पालन करने के लिए या गंभीर दुर्व्यवहार के मामलों में आपके खाते को तुरंत निष्क्रिय कर सकती हैं।
- इन्हें एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी होगी जो यह समझने में आपकी मदद करे कि आप इस अध्यादेश के अंतर्गत आते हैं या नहीं।
- इन्हें आपको अधिकारों की यह सूचना अंग्रेजी और आपकी ज्ञात प्राथमिक भाषा में स्मार्टफोन एप्लीकेशन, ईमेल या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।

अपने अधिकारों को जानें

बदले की कार्रवाई करना वर्जित है

आपको ऊपर बताए गए अधिकारों का लाभ लेने या उनका इस्तेमाल करने पर बदले की कार्रवाई (किसी भी नकारात्मक कार्रवाई) से सुरक्षा पाने का अधिकार है।

शिकायत दर्ज कराने का अधिकार

आपको श्रम मानक कार्यालय (OLS) में शिकायत दर्ज कराने या कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी निष्क्रियता को चुनौती देने के बाद मुकदमा दायर करने का अधिकार है।

1 जून, 2027 तक OLS के पास इस कानून के तहत कुछ अधिकारों को लागू करने का सीमित अधिकार होगा।
अतिरिक्त जानकारी के लिए यहां स्कैन करें:

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/app-based-worker-ordinances/app-based-worker-deactivation-rights-ordinance

कर्मचारी अपने उन अधिकारों के लिए राहत पाने के अन्य रास्ते तलाश सकते हैं जिन्हें OLS अभी तक लागू नहीं कर सका है।

संपर्क करें: श्रम मानकों का कार्यालय

नेटवर्क कंपनियां

सहायता और/या प्रशिक्षण प्राप्त करें

ऐप-आधारित कर्मचारी

OLS में शिकायत दर्ज करें या अदालत में मुकदमा दायर करें

206-256-5297

www.seattle.gov/laborstandards

Seattle Office of Labor Standards

810 THIRD AVE, SUITE 375
SEATTLE, WA 98104
कामकाजी समय: सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
LABORSTANDARDS@SEATTLE.GOV

श्रम मानकों के कार्यालय (Office of Labor Standards) का मिशन नस्ल और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ श्रम मानकों को आगे बढ़ाना है। यह काम समझदार समाज और व्यावसायिक जुड़ाव के साथ-साथ नवीन नीति के विकास और रणनीति को लागू करके हो सकता है।

श्रम मानक कार्यालय विकलांग लोगों के लिए अनुवाद, व्याख्या और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।